संख्या एन-13011/11/2018-बीसी.III

भारत सरकार

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

'ए' विंग, शास्त्री भवन,

नई दिल्ली-110001

दिनांक 28 सितंबर 2018

सेवा में

सभी प्राइवेट सैटेलाइट टीवी चैनल

विषय: लिंचिंग और भीड़ हिंसा, आदि के मुद्दों पर तहसीन एस पूनावाला बनाम भारत संघ और अन्य के 2016 के डब्ल्यूपी (सिविल) संख्या 754 में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिनांक 17.07.2018 और 24.09.2018 के निर्णयों के निर्देशों का अनुपालन।

महोदय/महोदया,

उपरोक्त उद्धृत विषय पर तहसीन एस. पूनावाला बनाम भारत संघ और अन्य में 2016 की डब्ल्यूपी (सिविल) संख्या 754 में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 17.07.2018 और 24.09.2018 के निर्णयों का संदर्भ लिया जाता है। इस संबंध में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से संबंधित निर्णय का प्रासंगिक उद्धरण नीचे दिया गया है:

"(ix) केंद्र और राज्य सरकारों को राज्यों के गृह विभाग और पुलिस की आधिकारिक वेबसाइटों सहित रेडियो और टेलीविजन और अन्य मीडिया प्लेटफार्मों पर यह प्रसारित करना चाहिए कि किसी भी प्रकार की लिंचिंग और भीड़ हिंसा कानून **(आदेश के पैरा 40 (निवारक उपाय) के तहत)** के तहत गंभीर परिणाम होंगे।"

2.जबकि दूरदर्शन पहले से ही उपरोक्त निर्णय को लागू कर रहा है, शीर्ष अदालत के निर्देशों की व्यापक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए, यह सलाह दी जाती है कि प्राइवेट सैटेलाइट टीवी चैनल भी सार्वजनिक हित में नीचे दिए गए दो संदेशों को स्क्रॉल करके चला सकते हैं।

संदेश

भीड़ हिंसा और लिंचिग एक जघन्य अपराध है और कानून के तहत इसके परिणाम गंभीर हो सकते हैं।

भीड़ हिंसा और लिंचिग एक गंभीर अपराध है और इसके लिए कानून के तहत कड़ी सजा का प्रावधान है।

हस्ताक्षर/-

(अमित कटोच)
निदेशक (बीसी)
दूरभाष 23386394

प्रेषित प्रतिलिपि

1. श्री रजत शर्मा, अध्यक्ष, न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन (एनबीए), मैनटेक हाउस, तृतीय तल, सी-56/5, सेक्टर 62, नोएडा-201307
2. श्री पुनीत गोयनका, अध्यक्ष, द इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन, बी-304, तृतीय तल, अंसल प्लाजा, खेलगांव मार्ग, नई दिल्ली-110049
3. श्री राकेश शर्मा, एसोसिएशन ऑफ रीजनल टेलीविजन ब्रॉडकास्टर्स ऑफ इंडिया (एआऱटीबीआई), बी-116, ओखला इंडस्ट्रियल एरिया फेज-I, नई दिल्ली-110065